



CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

पत्रांक : बी०एड० परीक्षा / 1341

दिनांक : 01.07.2026

विज्ञप्ति

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक,

बी०एड० पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालय,

सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय:- बी०एड०/स्पेशल बी०एड० पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा प्रथम वर्ष 2026 के परीक्षा फार्म जमा करने व विश्वविद्यालय में प्रेषित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश।

महोदय/महोदया,

बी०एड० एवं स्पेशल बी०एड० (एमआर०) सत्र 2025-2027, मुख्य परीक्षा 2026 प्रथम वर्ष (मुख्य, भूतपूर्व तथा बैंक पेपर) के परीक्षा फार्मों को महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में निम्नांकित निर्देशों के अनुसार दिनांक 07.07.2026 तक प्रेषित किये जाना सुनिश्चित करें:-

01. विद्यार्थी एक साथ दो पूर्ण वर्षों (भूतपूर्व तथा मुख्य परीक्षा के रूप में) के परीक्षा फार्म नहीं भर सकता। यदि कोई विद्यार्थी ऐसा करता है तो उसका परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
02. समस्त परीक्षा फार्मों पर सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या के हस्ताक्षर एवं विद्यार्थी के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से हों।
03. मुख्य परीक्षा/बैंक परीक्षा/भूतपूर्व परीक्षा के अर्ह विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म अलग-अलग पैकेट बनाकर प्रेषित करें। अन्यथा परीक्षा फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय/संस्थान की होगी।
04. महाविद्यालय में छात्रों द्वारा प्रेषित परीक्षा फार्म प्राचार्य/प्राचार्या द्वारा अग्रसारित करते हुए एक प्रति के साथ (स्नातक एवं परास्नातक शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र) संलग्न करते हुए तथा परीक्षा फार्म पर विद्यार्थी का अनुक्रमांक व नामांकन संख्या अनिवार्य रूप से अंकित कर रोल लिस्ट के अनुसार बढते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हुए प्रेषित करें अन्यथा फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही एक प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।
05. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा माइग्रेशन को परीक्षा फार्म की एक प्रति (अनुक्रमांक व नामांकन अंकित सहित) के साथ संलग्न करते हुए मूल माइग्रेशन के पीछे भी विद्यार्थी का अनुक्रमांक तथा नामांकन संख्या आवश्यक रूप से अंकित कर निम्नांकित प्रारूप के अनुसार सूची तैयार कर प्रेषित करें ताकि माइग्रेशन गुम न हो अन्यथा परीक्षा फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऑन लाइन निर्गत माइग्रेशन बॉण्ड पेपर पर मुद्रित ही स्वीकार किये जायेंगे।

क सं०	अनुक्रमांक	नामांकन सं०	विद्यार्थी का नाम	माइग्रेशन निर्गत कर्ता विश्वविद्यालय का नाम	माइग्रेशन संख्या/माइग्रेशन निर्गत करने की तिथि

06. ऐसे विद्यार्थी जिनका स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण कर बी०एड० में प्रवेश लेते समय तीन वर्ष से अधिक वर्ष का अन्तराल हो तो ऐसे विद्यार्थियों को वर्ष अन्तराल का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा कि इस अन्तराल में उसके द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं लिया गया है। ऐसे विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म की सूची बनाकर शपथ पत्र के साथ अलग जमा करना सुनिश्चित करें।
07. महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्रबन्धक द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं को अंकित कर रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा:-
 01. प्रस्तुत परीक्षा फार्म काउंसलिंग व अल्पसंख्यक पंजिकरण माध्यम से प्रवेशित अर्ह विद्यार्थियों के हैं यदि भविष्य में कोई भी विसंगति पायी जाती है तो विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के परीक्षाफल निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक की होगी।
 02. प्रवेश परीक्षा/काउंसलिंग, कर्ता विश्वविद्यालय व एन०सी०टी०ई० के नियमों के अनुसार प्रवेश वैध नहीं पाये जाने पर परीक्षा फार्म एवं परीक्षा परिणाम निरस्त होते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय/संस्थान की होगी।
 03. विद्यार्थी के स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रतिशत अंक कम होने व पाठ्यक्रम मान्य न होने की स्थिति में किसी छात्र का परीक्षा फार्म एवं परीक्षाफल निरस्त होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक की होगी। विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
 04. मेरे द्वारा ऐसा कोई परीक्षा फार्म जमा नहीं किया जा रहा है जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के अनुसार कन्फर्म न किया गया हो। यदि पाया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय/संस्थान की होगी।
 05. बैंक अथवा भूतपूर्व विद्यार्थी के परीक्षा फार्म पर पूर्व वर्ष में उपलब्ध विवरण के समान विवरण अंकित है। यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय/संस्थान की होगी।


नोट:-

01. प्रथम वर्ष (बैंक/भूतपूर्व) परीक्षा फार्म के साथ मूल माइग्रेशन संलग्न न करें।
02. निर्धारित तिथि के पश्चात परीक्षा फार्म जमा करने वाले महाविद्यालयों/संस्थानों का परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाएगा और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


 02/11/26
 परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त राजकीय/अनुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/संस्थान (बी०एड० पाठ्यक्रम संचालित), सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वैयक्तिक सहायक कुलपति को, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक परीक्षा नियंत्रक को, परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।


 02/11/26
 उप कुलसचिव (बी०एड० परीक्षा)